



कार्यालय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद

PHOTO COPY

(मानचित्र स्वीकृत पत्र)

मानचित्र संख्या..... 356/CMP/C/H/07-08

श्रीमति/श्री. मैसर्स

सुमित कार्निक्स लि. डायरेक्टर

श्री संजित अग्रवाल S/O श्री दीपक अग्रवाल
बि० देविका टावर 6 नेहरू प्लेस नयी दिल्ली

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 07/06/07 के सचर्म में आपके प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग आवासीय भवन की मोहल्ला/कालोनी/ग्राम स्वच्छता योजना दिनांक 11/4/08 पर निम्नलिखित शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. यह मानचित्र स्वीकृति से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृत सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, (जी. डी.ए.) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित नहीं होता है।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी अपत्ति के देय होगा।
5. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
6. दरवाजे व खिड़कियां इस तरह से लगाये जायेंगे कि सड़क की ओर खुलें।
7. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा। विद्युत नियमों के अनुसार सुरक्षित दूरी
8. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा। निर्माण कार्य किया जायेगा
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी प्रतीति पर कभी भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेसिफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
10. यह मानचित्र उपग्रह नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
11. सड़क पर अथवा बैंक लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
12. सुपरविजन एवं स्पेसिफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा। स्थल पर एक बोर्ड पर स्वीकृत मानचित्र की
13. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 19/1/2007 का पालन करना होगा। दिनांक लिखना अनिवार्य होगा।
14. पर्यावरण की दृष्टि से उपग्रह राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 100 मीटर पेड़ लगाना अनिवार्य है।
15. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण-पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायें।
16. 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफटोप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
17. 12.00 मी. से अधिक ऊँचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
18. अस्पताल, नर्सिंगहोम, होटल, अतिथि गृह, विश्राम गृह, छात्रावास, महाविद्यालय, विश्व विद्यालय, प्राविधिक संस्थाएं, प्रशिक्षण केंद्र, सामुदायिक केंद्र, बैंक/वेस्ट हॉल, बारात घर व 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के एकल आवासीय भवनों में सोलर लैम्प/सौर ऊर्जा की स्थापना करनी होगी।

रूप- 2 S268636 अवकाश, धनराशि, मूल्य, छूट, इत्यादि विषयों में 127

संलग्नक :

1. दो सैट स्वीकृत मानचित्र

पत्रांक 2

प्रतिलिपि :

1. अधि० अधि० नगर निगम गाजियाबाद को स्वीकृत मानचित्र सहित।
2. अवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. अपर जिलाधिकारी (विश्रुत एवं राजस्व) को सूचना हेतु।

सी०ए०टी०पी०
गाजियाबाद

सी०ए०टी०पी०